

कोरोना महामारी में स्वास्थ्य विभाग के फ्रण्ट लाईन सभी वर्कर के कार्य व उपयोगिता का संज्ञान है। टेस्टिंग का कार्य प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन) द्वारा किया जाता है।

शासनादेश संख्या-68/2016/1194/पांच-1-2016-5(98)/2012 दिनांक 29-09-2016 द्वारा पदोन्नति के प्राविधान किये गये हैं। ए0सी0पी0 का लाभ दिया जा रहा है। तदनुसार प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) सेवा नियमावली-1998 में द्वितीय संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ब्रजेश पाठक

**उप मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन।**